उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

संख्या-आई/680561/2024/8-3099/1736/2020

लखनऊः दिनांकः 01 जुलाई, 2024

-विज्ञप्ति-

विषयः- उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण, लखनऊ में अध्यक्ष के रिक्त पद पर नियुक्ति।

भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण में अध्यक्ष एवं तीन सदस्य नियुक्त किये जाने का प्राविधान है। अधिनियम की धारा-46 के अनुसार कोई व्यक्ति अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा जब वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, या रहा हो। अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके नामनिर्देशिती के परामर्श से की जायेगी।

2- भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2016 की धारा-47(1) के प्राविधानों के अनुसार भू-संपदा अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है उस रूप में 05 वर्ष से अनधिक अवधि तक पद धारण करेगा किन्तु वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। परन्तु यदि कोई व्यक्ति, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, या रहा है अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष को देय वेतन तथा भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें उ0प्र0 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली, 2016 के नियम-27 के अनुसार होंगी।

3- उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण, लखनऊ में अध्यक्ष के रिक्तक्त पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। भू-सम्पदा अधिनियम में निर्धारित उक्त मानदण्ड पूरा करने वाले इच्छुक योग्य व्यक्ति अपना आवेदन आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा आवास बन्धु की वेबसाइट https://awas.upsdc.gov.in एवं https://www.awasbandhu.in पर प्रदर्शित लिंक पर दिनांक 05.07.2024 से दिनांक 25.07.2024 की रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं। आवेदन पत्र केवल ऑन लाईन स्वीकार किये जायेंगे। पृथक से प्रेषित किसी आवेदन पत्र/अभिलेख पर विचार नहीं किया जायेगा।

4- ऑन लाईन आवेदन पत्र के साथ आवेदक को समस्त वांछित अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ तथा स्वप्रमाणित घोषणा (जैसा कि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है) संलग्न करना अनिवार्य है। अपीलीय अधिकरण में अध्यक्ष के पद की अर्हता, सेवा शर्ते, पदावधि, वेतन भत्ते आदि के संबंध में विस्तृत विवरण भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2016 के अध्याय-7 तथा उत्तर प्रदेश भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली-2016 के अध्याय-7 में देखा जा सकता है। उक्त अधिनियम एवं नियमावली उपर्युक्त वर्णित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(डॉ0 नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव

UPID 216882 dt 01.07.2024,
www.upgov.nic.in

Scanned with CamScanner